

उत्तर प्रदेश नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड

(उ०प्र० नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड अधिनियम 2011 के अधीन गठित)
नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध केन्द्र, द्वितीय तल, सेक्टर-7, गोमतीनगर विस्तार,
निकट डायल-112 शहीदपथ, लखनऊ-226010

e-mail- upbdfmr@gmail.com

संख्या: न०वि०सं०बो० / डी०-288(1)/2020

लखनऊ: दिनांक: 11 मई, 2020

विस्तृत विज्ञप्ति (बोर्ड की वेबसाइट हेतु)

उ०प्र० नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ०प्र० में मुख्य लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ तथा शोध अधिकारी के पदों को *सेवारत अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर अथवा सेवानिवृत्त अधिकारियों में से संविदा* द्वारा भरे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। उक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अर्हताएं एवं अन्य विवरण निम्नवत् हैं:-

1-मुख्य लेखाधिकारी/वित्त विशेषज्ञ (01पद) (प्रिरीवाइज्ड वेतनमान रू० 15600-39100 (ग्रेड पे रू० 6600)/ सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान रू० 67700- 208700

- (1) प्रतिनियुक्ति की स्थिति में उक्त वेतनमान में *समकक्ष पद पर* कार्यरत हों। संविदा की स्थिति में *समान प्रकृति के पद से* उक्त वेतनमान अथवा उच्चतर वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।
- (2) शासकीय/अर्द्धशासकीय नवसृजित संस्थाओं में वित्तीय प्रबन्धन हेतु अभिलेखों का सृजन एवं रखरखाव, आहरण-वितरण अधिकारी के दायित्वों का निर्वहन की क्षमता एवं बृहद अनुभव हो।
- (3) वित्तीय प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण का व्यापक अनुभव हो।
- (4) नगर निकायों के वित्तीय अभिलेखों एवं वित्तीय व्यवस्था, प्रबन्धन एवं वित्तीय जवाबदेही इत्यादि का गहन अध्ययन एवं विवेचन कर बोर्ड को परामर्श देने में निपुणता एवं अनुभव रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जायेगी।
- (5) कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के उपयोग का सामान्य ज्ञान हो।

2-शोध अधिकारी (01पद) (प्रिरीवाइज्ड वेतनमान रू० 15600-39100 (ग्रेड पे रू० 5400)/ सातवें वेतन आयोग के अंतर्गत पुनरीक्षित वेतनमान रू० 56100-177500

- (1) प्रतिनियुक्ति की स्थिति में उक्त वेतनमान में कार्यरत हों। संविदा की स्थिति में उक्त वेतनमान अथवा उच्चतर वेतनमान के पद से सेवानिवृत्त हुआ हो।
- (2) नगर निकायों के कार्यकलापों का व्यापक अनुभवयुक्त कार्यरत *अथवा* सेवानिवृत्त अधिकारी हो।
- (3) बोर्ड के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए निकायों की कार्य पद्धति का अध्ययन कर प्रपत्रों को तैयार करना, सूचना प्राप्त करना, उनका विश्लेषण करना तथा बोर्ड के समक्ष सुविचारित प्रस्तावों को रखने की क्षमता एवं अनुभव हो।
- (4) नीति विषयक दिशा-निर्देशों एवं विनियमावली इत्यादि के निर्माण हेतु एवं बोर्ड को नगरीय निकायों के लिए प्रभावी अधिनियमों, नियमों, कानूनों, शासन के निर्देशों इत्यादि की सम्यक् जानकारी देने हेतु समर्थ एवं जानकार हो।
- (5) कम्प्यूटर तथा इण्टरनेट के उपयोग का सामान्य ज्ञान हो।

3- संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति प्रथमतया **01 वर्ष के लिए होगी जिसे सेवाओं के संतोषजनक पाये जाने पर बोर्ड द्वारा आगे दो वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है।** सेवानिवृत्त अधिकारियों की तैनाती होने पर सामान्य सिद्धान्त के अनुसार अन्तिम आहरित वेतन में से **पेंशन की सकल धनराशि** को घटाते हुए तथा उस पर शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य भत्तों को जोड़कर परिलब्धियों का निर्धारण किया जायेगा। यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि उक्त पद/पदों पर उच्चतर वेतनमान के सेवानिवृत्त अधिकारी की संविदा के आधार पर नियुक्ति की जाती है तो ऐसे अधिकारियों का बोर्ड कार्यालय में वेतन निर्धारण संबंधित पद के लिए स्वीकृत संगत वेतनमान के अधिकतम के अंतर्गत ही किया जाएगा। **सेवा की शेष शर्तें बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित होंगी।**

4- प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की दशा में सेवा शर्तें/परिलब्धियों शासन द्वारा निर्दिष्ट प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अनुसार होंगी। ऐसे अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र अपने वर्तमान नियोक्ता के माध्यम से उनकी अनापत्ति सहित प्रेषित करेंगे।

5- उक्त विज्ञापन के आधार पर चयनित अधिकारियों की नियुक्ति इन पदों पर वर्तमान पदधारकों की सेवा अवधि, जो वित्त विशेषज्ञ के मामले में 10 अगस्त, 2020 तथा शोध अधिकारी के मामले में 30 जून, 2020 है, के पूर्ण होने की तिथि के बाद यथानिर्दिष्ट कार्यभार ग्रहण की तिथि से प्रभावी होगी।

6- पदों को प्रतिनियुक्ति से भरे जाने को प्राथमिकता दी जाएगी किन्तु यदि पदों पर प्रतिनियुक्ति हेतु उपयुक्त अभ्यर्थी नहीं उपलब्ध हो पाते तो पदों को उपयुक्त सेवानिवृत्त अधिकारियों में से चयन द्वारा संविदा के आधार पर भरा जाएगा।

7- इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे सभी वांछित प्रपत्रों, जिससे कि उनके द्वारा अर्हता पूर्ण करने की पुष्टि हो सके, के साथ अपना आवेदन पत्र सचिव, नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 को उपरोक्त पते पर स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें कि वह **दिनांक 15 जून, 2020** तक प्राप्त हो जाए। आवेदन पत्र में अभ्यर्थीगण अपने ई मेल तथा मोबाइल नम्बर/व्हाट्सएप नम्बर का स्पष्ट उल्लेख करें तथा ई मेल को दिन-प्रतिदिन देखते भी रहें ताकि बोर्ड द्वारा साक्षात्कार या अन्य विषय पर प्रेषित जानकारी उन्हें समय से हो सके।

सचिव

उ0प्र0 नगरपालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड